

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— VHSND Training.

बजट / एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) — Capacity Building of FLHW.

बजट क्रम संख्या / एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) A.9.2.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें गाँव के अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने की परिकल्पना हैं। इस हेतु अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कर गाँव के स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण इत्यादि सेवाओं को सामेकित रूप से उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई है। इस आलोक में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन एक महत्वपूर्ण रणनीति है जहाँ समुदाय के लोग सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहक (Preventive & Promotive) स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को प्राप्त कर सकें। यह दिवस प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छ पेयजल से संबंधित सेवायें को पंचायती राज की सहभागिता से कार्यान्वित किया जाना है। इस दिन उपर्युक्त सेवाओं को एक दिन, एक स्थान तथा सामुहिकता के सिद्धान्त पर आयोजित किया जाना है।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस कर्मियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण :-

भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) को प्रभावी रूप से आयोजित करने हेतु पंचायत के प्रतिनिधि जो ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य हैं तथा सम्बन्धित उपस्वास्थ्य केन्द्र की सभी ए०एन०एम०, आशा एवं आँगनबाड़ी सेविकाओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रखण्ड स्तर पर आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य के 7 जिलों में यह प्रशिक्षण किया गया है। द्वितीय चरण में इस वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के 9 जिलों यथा:- औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं सीवान जिलों में यह प्रशिक्षण किया जाना है। भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित ईकाई राशि के अनुरूप प्रशिक्षण किया जाना है।

ईकाई राशि:

Capacity building of FLHW (Field level health worker- ANM, AWW, ASHA, PRI Member of VHSC). - **Only in Aurangabad, Bhagalpur, Bhojpur, Jahanabad, Lakhisarai, Munger, Purnea, Samastipur, and Siwan.**

- ✦ @ Rs. 250/Participant for 2 days Capacity building program for Snacks and Stationary.
- ✦ @ Rs. 2500/ batch to hire venue, logistic and equipments / TV/LCD for Capacity building program for FLHW.
- ✦ @ Rs 6000/ batch for Resource Person (State trainer) to facilitate 2 days Capacity building program for FLHW.

13/7/13

(Signature)

वित्तीय दिशा-निर्देश
उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च किये जा सकते हैं:-

VHSND के कर्मियों का क्षमता निर्माण (Capacity building) हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण:-

राज्य स्तर से इस प्रशिक्षण को संचालित करने हेतु प्रशिक्षको एवं प्रशिक्षण सामग्री आपके जिलो को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यान्वित करने हेतु प्रशिक्षण से पूर्व दो गतिविधियां यथा:- प्रशिक्षण का माईक्रोप्लान एवं प्रशिक्षण को आयोजित करने वाले प्रशिक्षको का दो दिवसीय राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायगा जिसमें उन्हें उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रशिक्षण की रूप-रेखा के बारे में बताया जाएगा।। इस संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियां किया जाना है।

➤ **माईक्रोप्लान का निर्माण:-** एक समय में अधिकतम 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर एक साथ आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए माईक्रोप्लान का निर्माण निम्नलिखित बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

- यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। एक प्रशिक्षण के बैच में अधिकतम 50 प्रतिभागी होंगे अतैव प्रशिक्षण स्थान का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि 50 व्यक्तियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, प्रशिक्षण स्थल में आवश्यक प्रशिक्षण सामग्रियों की सुची अनुलग्नक 2- संलग्न की जा रही है, जिसके अनुसार प्रशिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या 50 सुनिश्चित करने का कारण यह है कि एक उपस्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत सभी ए०एन०एम०, ऑगनबाड़ी सेविका, आशा एवं VHSNC के अध्यक्ष एक ही बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात् दो- तीन उपस्वास्थ्य केन्द्र को मिलाकर 50 प्रतिभागियों की संख्या पूरी की जाएगी। संभव है कि एक पंचायत के साथ दो उपस्वास्थ्य केन्द्र या एक उपस्वास्थ्य केन्द्र के साथ दो पंचायत संबंध हो, इस परिस्थिती में एक ही पंचायत प्रतिनिधि को दो बार प्रशिक्षण में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अपितु उक्त पंचायत के VHSNC के अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे की प्रत्येक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के तिथि कि सुचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व मिल जाए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रशिक्षण माईक्रोप्लान पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से भी मन्तव्य कर लेंगे। प्रशिक्षण माईक्रोप्लान बनवाने की जबावदेही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की होगी। यह कार्यशाला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में की जायेगी, तथा इसमें प्रशिक्षक के रूप में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक के आलावा राज्य स्तर से चयनित एवं प्रशिक्षित **Resource Person** (State Trainer) होंगे।
- प्रशिक्षक राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण किट के साथ प्रशिक्षण के एक दिन पूर्व संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति से मिलकर माईक्रोप्लान के अनुसार प्रशिक्षण के दिन प्रशिक्षण स्थल पर ससमय उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यक सामग्री के द्वारा प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा तथा जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण (बी.पी., हिमोग्लोबिन, वजन, एवं लम्बाई जांच) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- माईक्रोप्लान निम्नांकित प्रपत्र में बनाया जायेगा तथा राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षको के प्रशिक्षण (TOT) में इसे राज्य स्वास्थ्य समिति को समर्पित किया जायेगा।

FMR Code - A.9.2.2.1

13/2/13

[Signature]

प्रपत्र -1-Detail Microplan

जिले का नाम	प्रखण्ड का नाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पंचायत प्रतिनिधि का नाम	ए०एन०एम का नाम	आशा का नाम	आँगनबाड़ी सेविका का नाम	प्रशिक्षण की तिथि

प्रपत्र-2- Summary Sheet

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की संख्या	ए.एन.एम. की संख्या	आँगनबाड़ी की संख्या	आशा की संख्या	VHSNC चेयरमैन की संख्या	कुल प्रशिक्षण सत्र की संख्या

अनुलग्नक 1 में वर्णित, प्रशिक्षण में प्रतिभागी की संख्या, सत्र की संख्या एवं इसके लिए आवश्यक राशि का विवरण निम्नांकित है:-

➤ **प्रशिक्षण में प्रतिभागी के लिए राशि की उपलब्धता:-** इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 125 रुपये प्रतिदिन की दर से दो दिन के लिए रुपये 250 उनके जलपान एवं स्टेशनरी के लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

➤ **प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए राशि की उपलब्धता:-** VHSND कर्मियों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए प्रत्येक कार्यशाला रुपये 2500 की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है। जिसे कार्यशाला स्थल एवं आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को भाड़े पर लेने के लिए खर्च किया जा सकता है।

➤ **प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर से जाने वाले Resource Person (State Trainer) के लिए राशि की उपलब्धता:-** प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने वाले उक्त दो दिवसीय कार्यशाला में राज्य स्तर से चयनित एवं प्रशिक्षित Resource Person भेजे जायेंगे, जिसके लिए राशि की उपलब्धता करायी जा रही है। प्रशिक्षक के लिए आवश्यक राशि जिसे संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रशिक्षक को प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण के उपरान्त नियमानुकूल आवश्यक Bill/Voucher उपलब्ध कराने पर अधिकतम 7 दिनों में प्रदान किया जायेगा। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है :-

- **Honorarium:-** @Rs. 1000/day x 2 days= Rs. 2000/batch (इसके लिए बिल की आवश्यकता नहीं है)
- **Lodging, Fooding, Stationary and communication:-** @Rs. 1000/day (maximum) x 2 days = Rs. 2000/batch.
- **Travelling/Vehicle availability for trainer within district to reach PHC/Training site (to and fro):-** @Rs.1000 (maximum)/day x 2 days = Rs. 2000/batch.

Total = Rs. 6000 (maximum)/Trainer/Batch.

जिला कार्यक्रम प्रबंधक की यह जबाबदेही होगी कि Resource Person (State Trainer) के Honorarium का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ती के बाद तत्काल कर दिया जाए एवं अन्य मद यथा Lodging & fooding एवं Travelling के लिए Bill/ Voucher Submit करने के उपरान्त ही Actul Amount का भुगतान किया जायेगा। यह दोनों प्रकार का भुगतान यदि एक साथ कर दिए जाते हैं तो प्रशिक्षको को कार्य करने में उत्साह बना रहता है। इस दिशा निदेश के साथ भुगतान का प्रपत्र संलग्न (अनुलग्नक -3) किया जा रहा है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं- तिथि के साथ उल्लेखित करें)

पत्र संख्या- 24613 दिनांक:- 15.03.11,

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर- 09470003025

FMR Code - A.9.2.2.1

13/2/13

कि

अनुलग्नक - 1

Sl. No.	District	ANM		ASHA	AWW		VHSC-Chairman	Total Human Resource	No. of Batch (50 person/batch)	10% additional Batch	Total expected batch	Logistic support/batch (@Rs. 2500)	Snack for Participant (@ Rs. 250 / participant)	Resource person / Trainer cost (@ Rs. 6000/ trainer/batch)	Allocation to district	Trainer no.	Trainer Days
		ANM	ANM on contract t-R		AWW Regular	AWW Additional											
1	Aurangabad	280	283	2158	2004	29	203	4957	99	10	109	272635	1239250	654324	2166209	4	27
2	Bhagalpur	354	306	2236	2215	71	242	5424	108	11	119	298320	1356000	715968	2370288	4	30
3	Bhojpur	313	274	2264	2128	0	228	5207	104	10	115	286385	1301750	687324	2275459	4	29
4	Jehanabad	145	118	871	925	0	93	2152	43	4	47	118360	538000	284064	940424	4	12
5	Lakhisarai	132	94	756	802	0	80	1864	37	4	41	102520	466000	246048	814568	4	10
6	Munger	162	146	956	1037	166	101	2568	51	5	56	141240	642000	338976	1122216	4	14
7	Purnia	250	423	2696	2422	87	251	6129	123	12	135	337095	1532250	809028	2678373	4	34
8	Samastipur	456	409	3829	3438	18	381	8531	171	17	188	469205	2132750	1126092	3728047	4	47
9	Siwan	243	351	2939	2618	12	293	6456	129	13	142	355080	1614000	852192	2821272	4	36
	Total	2335	2404	18705	17589	383	1872	43288	866	87	952	2380840	10822000	5714016	18916856	36	238

13/7/13

Print

(180)

अनुलग्नक -2

ट्रेनिंग से पहले की तैयारी:-

ट्रेनिंग के एक सप्ताह पहले निम्नलिखित चीजों की व्यवस्था ट्रेनिंग के लिए सुनिश्चित करवा लें। ट्रेनिंग वाले दिन के पहले ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाए।

ट्रेनिंग हॉल की तैयारी:-

- ऐसे कमरे/हॉल का चुनाव हो, जिसमें लगभग 50 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जा सके।
- प्रतिभागियों के बैठने के लिए लगभग 50 कुर्सियाँ।
- टेबल और टेबल क्लॉथ (प्रशिक्षक के लिए)।
- टेबल और टेबल क्लॉथ (टेलिविजन और सी.डी. प्लेयर के लिए)।
- रंगीन टेलिविजन (कम से कम "21" ईंच वाला)।
- टेलिविजन और सी.डी. प्लेयर चलाने के लिए एक्सटेंसन बोर्ड/पावर बोर्ड।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैनर।
- जेनरेटर और डीजल की व्यवस्था।
- ब्लैक बोर्ड या बाइट बोर्ड स्टैंड के साथ (वैकल्पिक/अगर व्यवस्था हो तो अच्छा है)।

प्रशिक्षण के दौरान जलपान:-

- सुबह के सत्र में चाय व बिस्किट
- दोपहर का भोजन
- पीने के पानी की व्यवस्था

प्रतिभागियों को सूचना:-

- VHSNC के सभी सदस्यों को आमंत्रित करें।
- सभी प्रतिभागियों को ट्रेनिंग की पूर्व सूचना दी गई हो, यह सुनिश्चित कर लें।
- यदि उपलब्ध हो तो प्रतिभागियों का फोन नं. पहले से ही ले लें ताकि उनके साथ इस विषय पर फॉलोअप किया जा सके।

FMR Code - A.9.2.2.1

13/7/13

13/7/13

अनुलग्नक -3

Government of Bihar

Health & Family Welfare Dept.

District Health Society.....

Bihar

TA/DA Form

1. Name of Participant :.....
2. Designation & Address :.....
3. Purpose of Journey :.....
4. Details of Travel

Date & Time	From	Date & Time	To	Mode/Class of Travel	Distance KM	Amount Rs.	Ticket No.

5. Claim Details:

7.1	Travel Expense Vehicle Rs.	
7.2	Lodging and Fooding	
7.3	Stationary and communication	
7.4	DA/Honorarium @ Rs. xDay	
7.5	Total Claim Rs. (7.1+7.2+7.3+7.4)	
7.6	Sanctioned Amount Rs. (For Official Use)	
7.7	Reason for less payment. (For Official Use)	

Encloser :

- Sanctioned letter
- Hotel /Food/Stationary/communication bill
- Bus Ticket/Train Ticket

Certified that:-

1. The Journey was performed by Mail/Express train in the class not lower than that for which the claim has been preferred in my T.A. bill.
2. I did not avail of boarding and/or lodging at the expenses of state of any other organization which is financed from State/Central Govt. funds for the days for which daily allowance at full rates has been claimed.
3. The distance by road for which road mileage allowance has been claimed is correct to the best of my knowledge and belief.
4. The journeys were performed in public interest and no Govt. transport was utilized for the road journeys for which mileage allowance has been claimed.
5. I did not performed the road journey for which mileage allowance has been claimed at the higher rates prescribed in Rule 46 of the supplementary rules by taking a single seat in any public conveyance (excluding steamer) which plies regularly for hire between fixed points and charges fixed rates.
6. I did not perform the road journey in any other vehicle without payment of its hire charges or incurring its running expenses.
7. I did not perform road journeys along with any other Govt. servant in a car/conveyance belonging to him.
8. No return tickets were available for the Rail at concessional rates.
9. Fare amounting to Rs..... Have actually been paid by me to the I & C in respect of the air journey made by me on for which full mileage allowance admissible under prescribed norms has been claimed by me.
10. I have not drawn any TA/DA from any other source in connection with the journeys and halts during the period from.....to.....

Countersigned

Signature of Claimant

Passed for payment of Rs.

Member Secretary/Authorized Signatory
DHS.....

Received Rs.

Signature of Claimant

FMR Code - A.9.2.2.1

(193)